रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1972/ज्येष्ठ 6, 1894

No. 152] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1972/JYAISTHA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1972

G.S.R. 289(E)/Ess.Com/Sugar.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and clause 6 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following order further to amend the Sugar (Restrictions on Movement) Order, 1972, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Restrictions on Movement) Fourth Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In the 'Explanation' at the end of clause 2 of the Sugar (Restrictions on Movement) Order, 1972, for the words "by the Central Excise Authorities attached to a vacuum pan factory", the words and figures "under the Central Excise Rules, 1944" shall be substituted.

[No. 1-1/72-S.Py.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1972

सा० का० नि० 289 (अ).—आवश्यक वस्तु शर्करा.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 और शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार शर्करा (संचलन पर निर्बन्धन) आदेश 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात :—

1. (1) यह आदेश शर्करा (संचलन पर निर्बन्धन) चौथा संशोधन आदेश, 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. शर्करा (संचलन पर निर्बन्धन) आदेश, 1972 के खण्ड 2 के अन्त में स्पष्टीकरण में "किसी निर्यात कढाई कारखाने से सम्बद्ध कारखाने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारी द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अधीन" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 1-1/72-एस० पी० वाई०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972